राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः प.5(31)साप्र/3/82 जयपुर, दिनांकः 12.9.05

–: अधिसूचना :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय एवं मंत्रीमण्डलीय आज्ञा संख्या 75/2002 दिनांक 21.8.2002 के कियान्वयन में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा व राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को कार्यालय एवं आवास पर वर्तमान में उपलब्ध निःशुल्क टेलीफोन काल्स की सुविधाओं का निम्न वर्णित सीमा के अध्यधीन निःशुल्क टेलीफोन उपलब्ध करवाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं। यह अधिसूचना इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6.9.2005 के अतिलंघन (in supersession) में जारी की जाती है।

क्र.सं.	पदनाम/वर्ग	द्वैमासिक निःशुल्क काल्स की सीमा	
		कार्यालय	निवास
1	जिला एवं सेशन जज या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एस.टी.डी. सुविधा सहित)	3000	2000
2	अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एस.टी.डी. सुविधा सहित)	2000	1000
3	सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी (निवास एवं कार्यालय पर एस.टी.डी. सुविधा सहित)	2000	1000
4	सिविल जज (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष अधिकारी	1500	750

आज्ञा से,

(चन्द्रमोहन मीणा)
शासन सचिव